रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092025-266491 CG-DL-E-27092025-266491

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4227] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947 No. 4227] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसुचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर 2025

सं. 32/2025-26

विषयः सेकेंड जेनरेशन (2जी) एथेनॉल की निर्यात नीति के संबंध में।

का.आ. 4345(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्ववारा आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—II (निर्यात नीति) के तहत आइटीसी (एचएस) कोड 22072000 के अंतर्गत अतिरिक्त नीतिगत शर्त को निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से शामिल करते हुए दिनांक 22 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 62/2015—20 को संशोधित करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	निर्यात नीति	
22072000 — एथाइल अल्कोहल और अन्य किसी भी स्ट्रेंथ की स्पिरिट्स, डिनैचर्ड	प्रतिबंधित	सेकेंड जेनरेषन (2जी) इथेनॉल का निर्यात — अर्थात् सेल्युलोसिक सामग्री जैसे खोई, लकड़ी का अपशिष्ट, अन्य नवीकरणीय संसाधन, औद्योगिक अपशिष्ट, लिग्नोसेल्युलोसिक फीडस्टॉक (उदाहरण के लिए कृषि और वानिकी अवशेष जैसे चावल और गेहूं

6371 GI/2025 (1)

	का भूसा, मक्का और चारा, खोई, लकड़ी का ईंधन), गैर—खाद्य फसलें (उदाहरण के लिए घास, शैवाल) और अपिष्ट प्रवाह के माध्यम से उत्पादित इथेनॉल, और कम सीओ2 उत्सर्जन या उच्च जीएचजी कमी वाले और जो भूमि उपयोग के लिए खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं और आइएस 15464 विनिर्देशों (समय—समय पर संशोधित) को पूरा करते हैं—को ईंधन और गैर—ईंधन प्रयोजन के लिए अनुमित दी जाती है, जो कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी से वैध निर्यात प्राधिकार—पत्र और फीडस्टॉक प्रमाणन के अधीन है।
--	---

इस अधिसूचना का प्रभावः सेकेंड जेनरेषन (2जी) एथेनॉल के निर्यात हेतु अतिरिक्त नीतिगत शर्त तत्काल प्रभाव से अधिसूचित की जाती है।

[फा. सं. 01/91/180/21/एएम18/ईसी/खंड-II/ई-फाइल/ई-18994] अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

No. 32 /2025-26

Subject: Export Policy of Second Generation (2G) Ethanol - regarding.

S.O. 4345(E).—In exercise of powers conferred under Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Notification No. 62/2015-20 dated March 22, 2023 inserting additional Policy condition under Schedule-II (Export Policy) of ITC (HS) 2022, under ITC(HS) Code 22072000, as under with immediate effect:

ITC(HS) Code & Description	Export Policy	Additional Export Policy Condition
22072000 - Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength	Restricted	Export of Second Generation (2G) Ethanol i.e. Ethanol produced through cellulosic material such as bagasse, wood waste, other renewable resources, industrial wastage, lignocellulosic feedstocks (e.g. agricultural and forestry residues such as rice and wheat straw, corn and stover, bagasse, woody biomass), non-food crops (e.g. grasses, algae) and residue streams, and having low CO ₂ emissions or high GHG reduction, and which do not compete with food crops for land use and meets IS 15464 specifications (as amended from time to time) is permitted for fuel and non-fuel purposes, subject to a valid Export Authorisation and feedstock certification from the relevant competent authority.

Effect of This Notification: Additional policy condition for export of Second Generation (2G) Ethanol is hereby notified with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/21/AM18/EC/Vol-II/E-File/E-18994]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade and Addl. Secy.